अनुदान संख्या 43 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43–INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,20,00*	*1,00*	*–1,19,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,06,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	3093,80,00	3116,57,00	3043,42,19	–73,14,81
पूरक	Supplementary	22,77,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		290,00,00	85,14,35	–204,85,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				171,32,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में *70.00 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल बचतें (7314.81 लाख रु.) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 2277.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.70.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7314.81 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2277.00 lakhs obtained in March,2010 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	96129.00	94215.94	91096.33	–3119.61
पु.	R.	–1913.06			
मुख्य शीर्ष "2038" संघ उत्पाद शुल्क	Major Head "2038" Union Excise Duties				
मू.	O.	212551.00	216641.41	212706.83	–3934.58
पू.	S.	2277.00			
पु.	R.	1813.41			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	650.00	797.65	539.03	–258.62
पु.	R.	147.65			

(I) 52.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2038" - "संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय" - 182566.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1557.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 184123.20 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3834.85 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावे प्राप्त होने, किराया संशोधन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और 1 प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने संबंधी कम प्रस्तावों का निपटान किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.52.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "2038" – "Collection Charges – Commissionerates" – the original provision of Rs.182566.20 lakhs was augmented to Rs.184123.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1557.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3834.85 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims of medical reimbursement, non-finalisation of proposals for rent revision and clearance of less proposals for enhancing organisational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme.

(III) मुख्य शीर्ष ''2038'' - संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वेतन और लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)'' के अंतर्गत 3262.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 162.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3424.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने और वेतन और लेखा कार्यालयों के नवीकरण के प्रस्ताव के निष्पादन में विलम्ब होने के कारण 41.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2037'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य''-

(क) ''समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन'' - 2162.85 लाख रु. की बचत (31379.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1 प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने संबंधी कम प्रस्तावों का निपटान किए जाने, किराया संशोधन और कम्प्यूटरों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला'' - 148.30 लाख रु. की बचत (659.05 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(खा) ''निवारक तथा अन्य कार्य'' -

(क) ''समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पतन'' - 2562.42 लाख रु.की बचत (53521.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार के कम मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, 1 प्रतिशत वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने के कम प्रस्तावों का निपटान किए जाने, किराया संशोधन, कम्प्यूटरों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और समुद्री नावों के परिचालन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2038" – "Collection Charges – Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" – the original provision of Rs.3262.00 lakhs was augmented to Rs.3424.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.162.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.41.10 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and delay in execution of proposal for renovation of Pay and Accounts Offices.

(IV) Under Major Head "2037" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions" –

(a) "Sea Customs – Major Ports" – saving of Rs.2162.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31379.05 lakhs) was due to clearance of less proposals for enhancing organisational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme, non-finalisation of proposal for rent revision and purchase of computers.

(b) "Central Revenues Control Laboratory" – saving of Rs.148.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.659.05 lakhs) was due to delay in finalisation of process for purchase of equipments.

(B) "Preventive and Other Functions" –

(a) "Sea Customs-Major Ports" – saving of Rs.2562.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.53521.75 lakhs) was due to finalisation of less reward cases, clearance of less proposals for enhancing organizational efficiency under 1% incremental revenue earning scheme, non-finalisation of proposals for rent revision and for purchase of computers and requirement of less funds towards running of marine boats.

(ख) ''संभार-तंत्र निदेशालय'' - 155.84 लाख रु. की बचत (1522.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोबाइल स्कैनर के रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और फिक्स्ड स्कैनर के 5वें वर्ष के रख-रखाव के लिए अग्रिम अदायगी के लिए विक्रेता से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''आरक्षित निधि और जमा लेखा को अंतरण - सीमा शुल्क कल्याण निधि को अंतरण'' - 196.76 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के जब्त किए गए सामान से बिक्री आय कम होने की वजह से सीमा शुल्क कल्याण निधि को कम राशि अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2038'' - निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय'' के अंतर्गत 690.16 लाख रु. की बचत (3235.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पुरस्कार के कम मामलों का निपटान किए जाने, और 1 प्रतिशत वर्धमान राजस्व स्कीम के अंतर्गत कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत के अंतर्गत 110.97 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कार्य के निष्पादन में विलम्ब किए जाने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 89.59 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3284.78 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2277.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(b) "Directorate of Logistics" – saving of Rs.155.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1522.20 lakhs) was due to requirement of less funds towards maintenance of mobile scanner and non-receipt of bills from the vendor for advance payment for 5th year for maintenance of fixed scanner.

(C) "Transfer to Reserve Fund and Deposit Account - Transfer to Customs Welfare Fund" – saving of Rs.196.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs was due to less amount transferred to Customs Welfare Fund owing to less sale proceeds of confiscated goods in the previous year.

(V) Under Major Head "2038" – "Direction and Administration - Directorate General of Central Excise Intelligence" – saving of Rs.690.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3235.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, clearance of less reward cases and utilisation of less funds under 1% incremental revenue scheme.

(VI) Under Major Head "2216" – "Government Residential Buildings - Other Housing-Maintenance and Repair" – saving of Rs.110.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to delay in execution of some work by the Central Public Works Department.

(VII) Under one head saving of Rs.89.59 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.3284.78 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2277.00 lakhs under Major Head "2038" – "Direction and Administration" – under the following heads:-

(का) ''निरीक्षण'' - 351.66 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 231.91 लाख रु. था।

(खा) ''राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वापक अकादमी'' - 692.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 508.30 लाख रु.था।

(गा) ''सतर्कता'' - 449.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 431.90 लाख रु. था।

(घा) ''सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग'' - 324.95 लाख रु। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 268.37 लाख रु. था।

(ङ) ''अग्रिम व्यवस्था, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण'' - 474.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 460.38 लाख रु. था।

(चा) ''प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन'' - 992.87 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 619.57 लाख रु. था।

(II) बचत मुख्य शीर्ष ''2037'' - ''निवारक और अन्य कार्य - राजस्व आसूचना निदेशालय'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 177.78 लाख रु. का अधिक व्यय (4870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और मुंबई में भारतीय यूनिट ट्रस्ट से खरीदे गए नए कार्यालय भवन के बिजली और रख-रखाव संबंधी प्रभारों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) "Inspection" – Rs.351.66 lakhs. Actual excess, however, was Rs.231.91 lakhs.

(B) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)" – Rs.692.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.508.30 lakhs.

(C) "Vigilance" – Rs.449.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.431.90 lakhs.

(D) "Customs and Central Excise Settlement Commission" – Rs.324.95 lakhs. Actual excess, however, was Rs.268.37 lakhs.

(E) "Authority for Advance Ruling, Customs and Central Excise" – Rs.474.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.460.38 lakhs.

(F) "System and Data Management" – Rs.992.87 lakhs. Actual excess, however, was Rs.619.57 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2037" – "Preventive and Other Functions - Directorate of Revenue Intelligence" – excess of Rs.177.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4870.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commission Report and payment of electric and maintenance charges in respect of new office building purchased from Unit Trust of India at Mumbai.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	22020.00	11178.00	7879.36	–3298.64
पु.	R.	–10842.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5000.00	682.00	605.30	–76.70
पु.	R.	–4318.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1980.00	8.00	29.69	+21.69
पु.	R.	–1972.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य " के अंतर्गत 14135.37 लाख रु. की बचत (22000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नावों और अतिरिक्त पुर्जों की सुपुर्दगी में विलम्ब होने, योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियों के मूल्यांकन के आधार पर 3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्सड स्कैनरों की अधिप्राप्ति के लिए संविदा को प्रदान किए जाने संबंधी आदेश न दिए जाने, नाव निर्माणकर्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने और स्कैनरों को लगाने के लिए चार स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 4394.70 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने की वजह से जगह खरीदने के संबंध में शेष भुगतान जारी न किए जाने और अन्य प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4047" – "Customs – Preventive and other Functions" – saving of Rs.14135.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22000.00 lakhs) was due to delay in delivery of boats and spare parts, non-placing of orders for awarding of contract for procurement of 3 mobile scanners and 4 fixed scanners on the basis of evaluation of price bids of eligible bidder, non-submission of bills by the boat builder and delay in sanction for acquisition of land at four sites for installation of scanners.

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure - Acquisition of Ready built Accommodation" – saving of Rs.4394.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-release of balance payment in respect of purchase of space owing to non-completion of necessary formalities by National Building Construction Company and non-materilisation of other proposals.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" - 1950.31 लाख रु. की बचत (1980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद संबंधी प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready built flats" – saving of Rs.1950.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1980.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for purchase of residential accommodation.